

झारखंड कैबिनेट विस्तार: 11 मंत्रियों ने ली शपथ, हेमंत सोरेन सरकार में शामिल हुए 6 नए चेहरे

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित समारोह में नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट में झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 मंत्री शामिल हैं। स्टीफन मरांडी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली।

- ▶ प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी ने शपथ ली
- ▶ संताल परगना से सबसे अधिक 4 मंत्री बनाए गए
- ▶ माले ने कैबिनेट से बाहर रहने का लिया फैसला



विधायक स्टीफन मरांडी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई। राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव सहित कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। हेमंत कैबिनेट में 5 पुराने चेहरे नवनियुक्त कैबिनेट में छह नए और पांच पुराने चेहरे हैं। नए मंत्रियों में राधाकृष्ण किशोर, सुदिव्य सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी नेहा तिकी और संजय यादव शामिल हैं। हालांकि राधाकृष्ण किशोर पहले बीजेपी की सरकार में कुछ दिनों के लिए मंत्री रह चुके हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में इस बार आठ महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से दो को कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट में राज्य के पांचों प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संताल परगना से सबसे अधिक 4

मंत्रियों को प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संताल परगना से सर्वाधिक चार मंत्री बनाए गए हैं। कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से दो-दो और पलामू प्रमंडल से एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सरकार ने मंत्रिमंडल में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। अनुसूचित जनजाति से चार, अनुसूचित जाति से एक, ओबीसी से तीन, अल्पसंख्यक समुदाय से दो और सवर्ण समुदाय से एक विधायक को प्रतिनिधित्व दिया गया है। भाकपा-माले ने कैबिनेट से बाहर रहने का लिया फैसला

भाकपा (माले) को दो सीटें मिली थीं। मंत्री बनने के बाद माले के नेता माले ने कैबिनेट से बाहर रहने का फैसला किया था। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार के सात मंत्री इस बार कैबिनेट में नहीं दिखेंगे। पूर्व की सरकारों में सबसे बुजुर्ग मंत्री रहे रामेश्वर उरांव को इस बार जगह नहीं मिल पाई। चार पूर्व मंत्री बेबी देवी, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर और बैद्यनाथ राम चुनाव हार गए। जबकि सत्यानंद भोक्ता इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए। वहीं चंपाई सोरेन पहले ही सत्तारूढ़ गठबंधन को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए थे।

इंडिया गठबंधन को 81 में से 56 सीटें मिली हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में सोरेन के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34, कांग्रेस को 16, राजद को चार और भाकपा (माले) को दो सीटें मिली थीं।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के जज, CJI खन्ना ने दिलाई शपथ



सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को न्यायमूर्ति मनमोहन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय और अभय एस ओका के कॉलेजियम ने बैठक में निर्णय लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति मनमोहन की नियुक्ति के साथ, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यात्मक शक्ति अब 34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 33 न्यायाधीशों तक बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को न्यायमूर्ति मनमोहन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 33 न्यायाधीशों तक बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को न्यायमूर्ति मनमोहन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय और अभय एस ओका के कॉलेजियम ने बैठक में निर्णय लिया।

वया मथुरा-काशी के मंदिरों से भी हटेंगे मस्जिद, पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनेगा नजीर?



नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद के बाद देशभर में उठे ऐसे कई विवादों को लेकर 1991 का पूजा स्थल कानून धरे में आ गया है। इस कानून को लेकर 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इस कानून की वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी। ये समझते हैं कि पूजा स्थल कानून-1991 क्या है? इसने किसने और क्यों लागू किया था? कुछ समुदाय इसे पूरी तरह से लागू किए जाने को कुछ समुदाय इस कानून को रद्द किए जाने के पक्ष में क्यों हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मथुरा और काशी के मंदिरों से मस्जिदें हटा दी जाएंगी? इसे समझते हैं।

पूजा स्थल कानून-1991 क्या है, अयोध्या मामले इसके दायरे में क्यों नहीं था 1991 की बात है, जब देश में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार प्लेसेज ऑफ वशिष्ठ एक्ट, 1991 लेकर आई, जिसे पूजा स्थल कानून भी कहते हैं। इस कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने

संसद सत्र, 8वां दिन- विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर पहुंचे: मोदी-अडाणी पर नारेबाजी की, राहुल बोले- अडाणी की जांच नहीं करा सकते मोदी

नई दिल्ली संसद परिसर में 5 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी और अडाणी को लेकर नारेबाजी की। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को आठवां दिन है। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे और गली-गली में शोर मचाया, मोदी-अडाणी चोर हैं के नारे लगाए। संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडाणी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्षी सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए ये भी कहा- 'स्कूल देखो- अडाणी', 'सड़कें देखो- अडाणी', 'ऊपर देखो- अडाणी, नीचे देखो- अडाणी' के नारे लगाए। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा- आप (सरकार) कभी इन्वेस्टीगेशन कराओगे? आप करा सकते हो अपना ही इन्वेस्टीगेशन? मोदी जी, अडाणी जी की जांच नहीं करा सकते। क्योंकि मोदी, अडाणी की जांच कराएंगे तो अपना ही जांच कराएंगे। मोदी और अडाणी दो नहीं, एक हैं। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मोदी-अडाणी को लेकर नारेबाजी की। राहुल-प्रियंका भी प्रदर्शन में शामिल रहे। राहुल गांधी ने फिर कहा कि मोदी-अडाणी दो नहीं, एक हैं। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में प्रियंका गांधी



भी शामिल हुईं। तरुण गोगोई समेत कांग्रेस सांसदों ने 'सदन में आओ', 'जवाब दो' के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन

Places Of Worship Act की सुनवाई को लेकर बोले विष्णु शंकर जैन, कट-ऑफ तारीख है असंवैधानिक

संसद के पास ऐसा कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है जो लोगों से अदालत जाने का अधिकार छीन सके। यह अधिनियम संविधान की मूल संरचना और अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25... का उल्लंघन है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार यह कानून लेकर आई थी, जिसे संसद से पास भी कराया गया। पूजा स्थल अधिनियम की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। हमारा कहना है कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने पूजा स्थल अधिनियम की जो व्याख्या दी है। आप राम के अलावा किसी अन्य मामले



के लिए अदालत नहीं जा सकते, यह असंवैधानिक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थल अधिनियम में कट-ऑफ तारीख 15 अगस्त 1947 है। कट-ऑफ तारीख 15 अगस्त 1947 है। होनी चाहिए जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पहला हमला किया और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। यह कट-ऑफ तारीख असंवैधानिक है। संसद के पास ऐसा कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है जो लोगों से अदालत जाने का अधिकार छीन सके। यह अधिनियम संविधान की मूल संरचना और अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25... का उल्लंघन है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार यह कानून लेकर आई थी, जिसे संसद से

विश्व हिन्दू परिषद ने बांग्लादेश में साधु संत और सनातन समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार का किया कड़ा विरोध दर्ज

जमशेदपुर के सर्व सनातन समाज से कई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, हिंदू संगठन और साधु संत समाज, इस्कॉन, के समय देश बंटवारे के समय पाकिस्तान वाले भाग में स्थित हिंदुओं के साथ और की नरसंहार की घटना को दोहराने की तरह है, इसे भारत के हिंदू कतई बर्दाश्त करने को तैयार है और दिन पर दिन बांग्लादेश के हिंदुओं के रक्षा हेतु उनके समर्थन में जनक्रोश बढ़ता जा रहा है, कि भारत सरकार शीघ्र ही बांग्लादेश की सरकार और वहां के कट्टरपंथी जिहादियों के विरोध कठोर कार्रवाई कर हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करे इसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो संपूर्ण हिंदू समाज भारत सरकार के समर्थन में एकजुट खड़ा रहेगी, उपायुक्त

की सामूहिक धमकी देना जैसे अमानवीय घटनाक्रम नित्य सत्ता परिवर्तन के बाद चल रहा है, जो कि 1947 में आजादी के समय देश बंटवारे के समय पाकिस्तान वाले भाग में स्थित हिंदुओं के साथ और की नरसंहार की घटना को दोहराने की तरह है, इसे भारत के हिंदू कतई बर्दाश्त करने को तैयार है और दिन पर दिन बांग्लादेश के हिंदुओं के रक्षा हेतु उनके समर्थन में जनक्रोश बढ़ता जा रहा है, कि भारत सरकार शीघ्र ही बांग्लादेश की सरकार और वहां के कट्टरपंथी जिहादियों के विरोध कठोर कार्रवाई कर हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करे इसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो संपूर्ण हिंदू समाज भारत सरकार के समर्थन में एकजुट खड़ा रहेगी, उपायुक्त



महोदय के माध्यम से दर्जनों संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर इस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा इस

मौके पर ब्रिह्पि के प्रांत, विभाग, जिला, प्रखंड और खंड के सैकड़ों सदस्यगण उपस्थित रहे।

बंगाल के हिंदुओं, सिखों, जैन और सभी सनातन धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाली गई आक्रोश रैली



बंगाल में हिंदुओं, सिखों, जैन धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रहे आक्रोश रैली निकाला गया। जिसमें सभी सनातन धर्म के लोगों एवं संगठनों ने भाग लिया। जिसमें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक रांची जिला के अध्यक्ष

सुबेदार मेजर नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में संगठन के लोगों ने भी भाग लिया। सुबे. अरुण झा, सुबे. राकेश सिंह, सुबे. एम के राय, सुबे. मनोज सिंह, अक्षय मिश्रा, सुबे. राममंगल सिंह, अरुण तिवारी एवं अन्य लोगों भी थे। आक्रोश रैली 11

बजे मोराबादी बापु वाटिका से शुरू हुआ और डीसी कार्यालय के पास समाप्त हुआ। इस रैली में मातृशक्ती भी काफी संख्या में भाग लिया। इसके पश्चात जिला समाहर्ता के द्वारा महामहिम श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी को ज्ञापन भेजा गया।

